

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जारिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिहपुरी ग्राम अमीना पुत्र खडकलली

प्रकरण अर्तगत भास भएलजार एक्ट

प्रकरण संख्या - 104/2018

निर्णय दिनांक - 13-4-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण न्याय के इस प्रकार है कि ग्राम टिहपुरी
की आ.सं.नं. 206 ... कुल रकबा 0.66 ... जिस जमीन डी. सु. रास्ता ... 0.01
रकब पर श्री अमीना पुत्र खडकलली ... ने अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण कर धूस
त लकड़ी डालकर कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिहपुरी ... द्वारा दिनांक
14-2-18 ... को उस/ विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किये जाने की रिपोर्ट मय लाई
शु.अ.नि.री. टिहपुरी ... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी अमीना पुत्र खडकलली ... मेव ... निवासी टिहपुरी ... को नु
रजस्टर अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तारीख
कराई गई। नोटिस बाद तारीख प्राप्त होने पर शकिक पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

मय एबील ... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

रकबा रकबा आ.सं.नं. 206 ... रकबा 0.66 ... में से 0.01

रकब किसे डी. सु. रास्ता है जो नियम ... के अंतर्गत है। लिहाजा नोटिस के अंतर्गत
रकब से वेदखल किया जाने के आदेश किये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप जमान 0.87 रु ...
50 गुणा 44 रु ... रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए का निष्पा
जादे पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी टिहपुरी ... शु.अ.नि.री.
टिहपुरी ... को लिखा जाकर बाद तकनीक अंतर्गत दफतर ही। निर्णय सुन न्यायालय में
सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.